उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-11
संख्या-514/2024/।/834300/2024/23-11099(099)/242/2024
लखनऊ: दिनांक: 26-12-2024
<u>शुद्धि-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-463/2024/।/826918/2024/23-11099(099)/242/2024, दिनांक 18-12-2024 द्वारा शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर निर्माण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में रिंग रोड से कस्तुरबा गांधी विद्यालय होते हुये सारनाथ रेलवे स्टेशन रोड (लम्बाई 1180 मी0) तक 04 लेन एलिवेटेड मार्ग निर्माण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित लागत रू0 16135.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-58 से रू0 5647.44 लाख की धनराशि कतिपय नियमों एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश में प्रश्नगत एलिवेटेड मार्ग के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था का उल्लेख होना त्रुटिवश छूट गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश दिनांक 18-12-2024 में नियम एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत शर्त संख्या-31 के रूप में "प्रश्नगत एलिवेटेड मार्ग के निर्माण कार्य की विभागीय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 होगी।" अंकित पढ़ा एवं समझा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या-463/2024/।/826918/2024/23-11099(099)/242/2024, दिनांक 18-12-2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
10- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
12- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
13- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
14- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन|
15- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन ।
16- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
17- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन ।
18- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन|
19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।